रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229348
CG-DL-E-01092021-229348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943
No. 495] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त , 2021

**सा.का.नि. 609(अ).—**स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का प्रारूप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खण्ड-3,उप-खण्ड (i) में भारत सरकार केवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) तारीख 2 फरवरी, 2021 को, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है आक्षेप या सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

**और** जबकि उक्त अधिसूचना,2 फरवरी, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

**और** जबकि उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया;

**अतः** अब, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम,2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2021 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनकेप्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में, (इसमें इसके पश्चात से इसे उक्त नियम कहा गया है) ।

3. उक्त नियम में, नियम 2 में, उप नियम (viii) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात;

"(viii) 'सक्षम व्यक्ति' से मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे ऐसी गैसों और पात्रों और उस विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षण, निरीक्षण, अधिष्ठापनों और परिवहन वाहनों के प्रमाणन के लिए सक्षम घोषित किया गया हो, यदि यह व्यक्ति इन नियमों के परिशिष्ट 2 क में निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएँ पूर्ण करते हों और नियम 12 में अधिकथित प्रक्रियानुसार मान्यता प्रदान की गई होः

परंतु मुख्य नियंत्रक किसी सक्षम व्यक्ति की अर्हताओं में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे यदि वह व्यक्ति आपवादिक रूप से अनुभवी और जानकार हो किंतु उसके पास की अपेक्षित सुविधाओं के सम्बन्ध में नहीं;

4. उक्त नियम में, नियम 2 में, उप नियम (xxix) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात;

"(xxix) (क) 'आईएसओ टंकी आधान' से ऐसा टंकी आधान अभिप्रेत है जिसमें दो बुनियादी तत्व शामिल हैं, पात्र और ढांचा, जो सड़क, रेल और समुद्र के द्वारा संपीडित गैस परिवहन के लिए उपयुक्त है, जिसमें परिवहन के इन रूपों के बीच अंतर्बदल शामिल है, और जो आईएसओ 1496 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है"।

5. उक्त नियम में, नियम 2 में,उप नियम (xl) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात;:-

"(xlक) तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण से ऐसा वृत्तिक संगठन अभिप्रेत है जो मुख्य नियंत्रक द्वारा निरीक्षण, प्रमाणन, परीक्षण और खतरनाक रसायननिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना खतरों (एमएएच) परिसर की सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं और जिसमे ऐसे व्यक्ति शामिल होगें जिनके पास सक्षम व्यक्तियों के समानअर्हताएं और अनुभव हो"।

6. उक्त नियम में, नियम 2 में,उप नियम (xliii) में, 'दाब पात्र' शब्द के पश्चात ",आईएसओटंकी आधान'"शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 18 में,उप नियम (2)में, खंड (xiii) में, 'सक्षम व्यक्ति' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात-

",तृतीय पक्षकार अभिकरण"

8. उक्त नियम में, नियम 19 (1) में,

(i) उप नियम (1) में, खंड (क) में, 'सक्षम व्यक्ति' शब्दोंके पश्चात "तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप नियम (7) में,'सक्षम व्यक्ति' शब्दोंके पश्चात "तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियम में,नियम 33 में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दोंके पश्चात निम्नलिखितअंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात:-

"तृतीय पक्षकार अभिकरण (टीपीआईए)"।

10. उक्त नियम में, नियम 43 में, 'सक्षम व्यक्ति' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे: अर्थात:-

"तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए)"।

11. उक्त नियम में, नियम 47 में,उप नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित रखाजाएगा अर्थात्;:-

"(7) जिला प्राधिकारी आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने का लिखित रूप में कारण देते हुए यथासंभव शीघ्रता से आवेदकों को सूचित करेगा, किंतु आवेदक से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के बाद नहीं होगा और यदि वह निर्धारित समय में ऐसा करने में विफल रहता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी समझा जाएगा:

परंतु यदि जिला प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने सेइनकार या आपत्ति की सूचना देता है, तो इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाएगी।"

12. उक्त नियम में, नियम 49 उप नियम (4) में, 'ठध-2' शब्द और आंकडों के पश्चात "ठध -2क और ठध -2ख"शब्द और आंकडेअंतःस्थापित किए जाएंगे।

13. उक्तनियममें, नियम 50 में,उप नियम (ग) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा: अर्थात्-

"प्ररूप ठध -4 में, यदि आवेदन भारतीय क्षेत्र के भीतर भूमि मार्ग से आईएसओ टंकी आधान' में संपीड़ित गैस परिवहन की अनुमति के संबंध में है या आईएसओ टैंक पोत में संपीड़ित गैस के आयात और परिवहन की अनुज्ञा हैं"।

14. उक्त नियम में, नियम 61 के स्थान पर,निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"61 अनुज्ञप्ति का खोना.- जहां इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है,वहाँ सिस्टम जेनरेटेड कॉपी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

15. उक्त नियम में, परिशिष्ट IIक में, क्र.सं. 2 में, स्तंभ 4 में, कोष्ठक, आकड़े और शब्दों को "(1) न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव-" शब्दों को "न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव-" शब्दों, आकड़ों और शब्दों के स्थान पर रखा जाएगा।

16. उक्त नियम में, परिशिष्ट III में, क्र.सं.क और 4 में, स्तंभ 4 में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात ",तृतीय पक्षकार अभिकरण(टीपीआईए)"शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

17. उक्त नियम में, अनुसूची 1ख में,

(i) क्र.सं. 13 की प्रविष्टियां और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) क्र.सं. 14 को क्र.सं. 13 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित क्र. सं. 13 के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

| | | |
|---|---|---|
| "14 | भारतीय क्षेत्र के भीतर भूमि मार्ग से आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुज्ञा की मंजूरी | रू.5000/-" |

18. उक्त नियम में, प्ररूप कध-3 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**प्ररूप कध -4**

**(नियम 50 देखें)**

भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनरों में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुमति के लिए आवेदन

1. जिस नाम से अनुज्ञा अपेक्षित है

   i. आवेदक का नाम

   ii. आवेदक का पूरा डाक पता

   iii. टेलीफोन संख्या(एं) और ई-मेल

2. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 और गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत भंडारण अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां:

   i - मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक द्वारा जारी किए गए भंडारण अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख

   ii- अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता - ........... तक

   iii- उपरोक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार भंडारण की क्षमता

3. टंकी आधान आईएसओ का वर्णन:

i. स्वामी कोड और सीरियल नंबर

ii. मॉडल संख्या

iii. विनिर्माता देश का नाम

iv विनिर्माता का नाम

v. विनिर्माण का वर्ष

vi अनुमोदन देने वाले देश का नाम

vii- डिजाइन अनुमोदन के लिए प्राधिकृत निकाय

viii- दाबपात्र डिजाइन कोड

ix- अधिकतम स्वीकार्य वर्किंग दाब (MAWP)

x- परीक्षण दाब

xi- प्रारंभिक दाब परीक्षण की तारीख

xii- डिजाइन तापमान रेंज

xiii- पात्र के निर्माण की सामग्री

xiv- शेल और डिश एन्ड्स की न्यूनतम मोटाई

xv- आईएसओ टंकी आधान की जल क्षमता

xvi- अधिकतम अनुज्ञेय सकल द्रव्यमान

xvii- अनलेडन टेयर द्रव्यमान

xviii- किसके द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया

xix- निर्धारित दाब को शामिल करते हुए, पात्र में लगे हुए सुरक्षा वाल्व्स का ब्यौरा

xx- डिज़ाइन आरेखण

xxi- माउंटिंगड्राइंग

xxii- ............. से भरा हुआ (गैस का असली रासायनिक नाम)

xxiii- यदि द्रवित गैस से भरा हुआ है तो उसका भरण अनुपात

xxiv- अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तिथि

4. अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तारीख

(i) उपयोग किए जाने वालेप्राइम मूवर (रों) का मेक और मॉडल

(ii) आईएसओ टंकी आधान के माउन्टिंग के प्रयोजन के लिए

आवेदन की तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का डाक पता

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के दो सेट संलग्न किए जाएं

i. प्रारंभिकनिरीक्षणप्रमाणपत्र / नियंत्रणप्रमाणपत्र

ii. विधिमान्य परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र,यदि लागू हो

iii. तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित वेसल डिजाइन ड्राइंग

iv. आईएसओ-कंटेनरआदि के लिए माउन्टिंग आरेखण ।

v. एसएमपीवी(यू) नियम 2016 के नियम 43 के अन्तर्गत जारी सुरक्षाप्रमाणपत्र

vi. अनुज्ञा फीस रुपए5000/- प्रतिवर्ष”

19. उक्त नियम में, प्ररूप ठध-2 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूपों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**प्ररूप – ठध-2क**

**(नियम 49 और 50 देखें)**

भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुमति

अनुज्ञा संख्या ................................. फीस रुपए 5000 प्रतिवर्ष

______________________________________ को भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4)इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपाबंधो और इस अनुमति की शर्तों के तहत निम्न विवरण के अनुसार आएसओ टैंक द्वारा संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए यह अनुज्ञा प्रदान की जाती है -

**आईएसओ टंकी आधान का वर्णन**

i. स्वामी का कोड और क्रम संख्या

ii. आईएसओ टंकी आधान का मॉडल नंबर

iii. किस देश में विनिर्मित

iv. विनिर्माता का नाम

v. अधिकतम स्वीकार्य कार्यकरण दाब (एमएडब्लुपी)

vi. आईएसओ टंकी आधान की जल क्षमता

vii. अधिकतम अनुज्ञेय सकल द्रव्यमान

viii. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित माउंटिंग आरेखण का विवरण

ix. ......................... से भरा हुआ (गैस का असली रासायनिक नाम)

x. अधिकतम अनुज्ञेय पेलोड

xi. प्राइम मूवर(रों) का मेक और मॉडल

xii. रजीस्ट्रीकृत लदान भार (आरएलडब्लु)

यह अनुज्ञा,जारी होने की तारीख से पांच वर्ष तक वैध रहेगी ।

जारी करने की तारिख मुख्य विस्फोटक नियंत्रक / विस्फोटक नियंत्रक

यदि वाहन स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम 2016 केअध्यायों 2 और 4कीअपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाए जानेया जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुमति जारी की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञा रद्द की जा सकती है और अनुमति धारक अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा ।

**शर्तें**

1. आईएसओ टंकी आधान का उपयोग उस संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए किया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूरीजारी की गई है ।

2. लोड वाहन का वजन आईएसओ टंकी आधान पर माउन्टिंग के प्रयोजन से प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वाहन के आरएलडब्ल्यू / जीसीडब्लू / जीवीडब्ल्यू से अधिक नहीं होगा ।

3. आईएसओ टंकी आधान का उपयोग संपीड़ित गैस के स्थिर भंडारण अधिष्ठापन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. भारतीय राज्यक्षेत्र के अन्दर आईएसओ टंकी आधान के बहुविध परिवहन के मामले में–

क माउन्टिंग औरडी-माउन्टिंग के स्थानों पर उठाने और बांधने की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

ख- रेलवे/ पत्तन/पोत परिवहन महानिदेशक/सीमा-शुल्क आदि, जो भी लागू हो, के कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन का उत्तरदायित्व अनुमज्ञाधारक का होगा ।

5- आईएसओ टंकी आधान पर आईएसओ 6348 की अपेक्षाओं के चिह्नांकन होगा ।

6- अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल में यथाविनिर्दिष्ट आईएसओ टंकी आधान का आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।

7- आईएसओ टंकी आधान की मरम्मत मूल उपकरण विनिर्माता या मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अनुशंसित और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित अभिकरणों द्वारा की जाएगी।

8- अनुज्ञा पत्र को अनुज्ञा प्राप्त वाहन में हर समय रखा जाएगा और नियम 70 में विनिर्दिष्ट, किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

9- अनुज्ञा प्राप्त वाहन चलाने या तत्सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए केवल ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुज्ञा दी जाएगी जो अनुमति की शर्तों के जानकार हों ।

10- अनुज्ञा प्राप्त वाहन के साथ हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा संपीड़ित गैस के परिवहन के समय कम से कम दो व्यक्ति मौजूद रहेंगे :

परंतु अनुज्ञा प्राप्त वाहन, यदि खाली हो, तो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में, उस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किए गए स्थान पर बिना किसी की मौजूदगी के खड़ा किया जा सकता है ।

11- अनुज्ञा प्राप्त वाहन में हमेशा उपलब्ध रखा जाए –

क- कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, जो 9 लीटरों से कम न हों और रासायनिक आग बुझाने के लिए उपयुक्त हों;

ख- ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के मामले में विद्युत बॉन्डिंग के लिए एक मजबूत लचीला केबल; केबल कम से कम 5 मीटर लंबा होगा और प्रत्येक छोर पर एक उपयुक्त क्लैंप या क्लिप होगा।

12- संपीड़ित गैस के प्रयोजन के लिए, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट से अनुज्ञप्त परिसर के अन्दर अनुमोदित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान परया जब पात्र मय फिटमेन्ट रिसाव,दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो,आईएसओ टंकी आधान में / से लोड या अनलोड नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी दुर्घटना या ब्रेक डाउन की स्थिति में आईएसओ टंकी आधानको सभी सावधानियों और पर्याप्त पर्यवेक्षणके साथकिसी भी अन्य स्थान पर अनलोड किया जा सकता है ।

13. किसी आईएसओ टंकी आधान किसी भी संपीड़ित गैस को सीधे किसी भी प्रोसेस पात्र में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा ।

14. यदि कोई भी फिटमेंट मय पात्र लीक,दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो,अनुज्ञा प्राप्त आईएसओ टैंक कंटेनर लोड नहीं किया जाएगा ।

15. अनुमति प्राप्त आईएसओ टंकी आधान में / से संपीड़ित गैस लोड / अनलोड करने से पूर्व –

क- इसके इंजन को बंद कर दिया जाएगा और बैटरी को एक उचित स्विच या अन्यथा अलग किया जाएगा;

ख- इसके पहिए ब्रेक द्वारा या स्कैचिंग द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे;

ग- यदि वाहन ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी चेसिस को पाइप के साथ एक केबल द्वारा या जिसमें से इसे लोड या अनलोड किया जाना है, विद्युत रूप से जोड़ा जाएगा;

घ- दोनों सिरों पर सही प्रकार से भरण या डिस्चार्ज पाइप कनेक्शन किए जाएंगे;

ङ- जब तक लोडिंग या अनलोडिंग खत्म न हो जाए और वाहन को मुहरबंद न कर दिया जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति साथ में उपस्थिति में होगा।

16- ट्रैफिक सिग्नलों पर या अनुज्ञापन प्राधिकारी की आवश्यकतानुसार या नियमों को लागू करने वाले किसी अन्य अधिकारी के कहे जाने के अतिरिक्त अनुमति प्राप्त वाहन किसी सड़क पर, भीड़भाड़ युक्त स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर आईएसओ टंकी आधान वाहन के लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए जो नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति परिसर के अन्दर कोई स्थान नहीं है, नहीं रोका जाएगा।

17- किसी ज्वलनशीन गैस के परिवहन के लिए के लिए उपयोग में लाए जा रहे अनुमति प्राप्त वाहन पर धूम्रपान, किसी भी प्रकार के अग्नि का स्रोत या कृत्रिम रोशनी या कोई वस्तु जो ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सकता है, की अनुज्ञा नहीं होगी।

18- अनुमति प्राप्त आईएसओ टंकी आधान यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

19- अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमति के बिनाआईएसओ टंकी आधान या उसके फिटिंग्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे बदलाव अनुज्ञप्ति में संशोधन के रूप में पृष्ठांकित होंगे।

20- आईएसओ टंकी आधान के अन्दर घटित किसी दुर्घटना, अग्नि, विस्फोट या किसी अप्रिय घटना की सूचना संप्रेषण के शीघ्रगामी साधन द्वारातत्काल मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक, निकटमत पुलिस थाना और जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

**प्ररूप–ठध – 2 ख**

(नियम*49 और 50 देखें*)

आईएसओ टैंक कंटेनर में संपीड़ित गैस के आयात और परिवहन की अनुमति

सेवा में,

______________________

______________________

विषय : स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के तहत आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस का आयात और परिवहन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र क्रमांक ------- तारीख -------------- का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आईएसओ कन्टेनर में निम्न विवरण के अनुसार ..................... से ............................. स्थित आपके कारखाना परिसर तक .................. गैस के आयात और परिवहन (और खाली आधान की वापसी ) के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है -

1. फैब्रिकेटर का नाम:
2. क्रम संख्या:
3. डिजाइन / वर्किंग प्रेशर:
4. डिजाइन तापमान
5. निर्माण कोड / प्रकार:
6. पानी की क्षमता:
7. परीक्षण और निरीक्षण:
8. प्रमाणपत्र संख्या और तारीख:
9. वजन:
10. सुरक्षा वाल्व सेट दाब:
11. प्रपुंज भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या:

उपरोक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है -

क- अनुज्ञा केवल आईएसओ आधान के एक बार के आयात / निर्यात के लिए विधिमान्य है।

ख- आईएसओ टंकी आधान(नों)) के परिवहन के दौरान सुरक्षा सावधानियों और स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के सुसंगत उपाबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ग- यदि लागू हो तो वाहन की निकासी में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदितस्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए ।

घ- कंटेनर की माउंटिंग / डिमाउंटिंग का कार्य आपके संगठन के एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेखमें किया जाएगा एवं इस विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के नियम 43 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

ङ- पत्तन / परिवहन और संबंधित अन्य प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा / मंजूरी /अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाएगा।

च- टैंक का सकल वजन वाहन के आरएलडब्ल्यू से अधिक नहीं होगा ।

छ- उत्पाद केवल स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के प्ररूप - III में अनुज्ञप्त परिसर में ही लोड / अनलोड किया जाएगा।

ज- कृपयाआईएसओ आधानको भरने / खाली करने के बाद आईएसओ आधान की वापसी के लिए स्वयं घोषणा प्रस्तुत करें।

टिप्पण- (1) उपरोक्त अनुज्ञासुरक्षा के हित में और शर्तों के उल्लंघन की दशा में,आवश्यक होने पर किसी भी समय की समीक्षा, संशोधन किया जा सकता है और वापस लिया जा सकता है।

(2) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त अनुज्ञा अन्यथा विधिमान्य है।

भवदीय

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. संबंधित अंचल और उप-अंचल कार्यालय।

2. संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त। उपरोक्त आईएसओ आधान को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं है।

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

[फा. सं. 2(1)/2017-Expl]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

**टिप्पण** : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1109(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 388(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2018 और सा.का.नि.148(अ)तारीख 25 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

## NOTIFICATION

**New Delhi, the 31st August, 2021**

**G.S.R. 609( E).—**Whereas, the draft of certain rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, were published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 96 (E), dated the 2nd February, 2021, in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 2nd February, 2021;

And whereas, objection and suggestions as received from the public within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government thereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely: -

1. **Short title and commencement**-(1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, herein after referred to as the said rules,

3. in rule 2, for sub- rule (viii), the following shall be substituted, namely:-

   “(viii) ‘competent person’ means a person recognised by the Chief Controller, for such gases and vessels and for such period as may be specified by him as competent, for carrying out tests, examinations, certification for installations and transport vehicles as stipulated in these rules, if the person possess the qualifications and experience and other requirements as set out in Appendix IIA to these rules and the recognition is granted as per procedure laid down in Rule 12:

   Provided that the Chief Controller may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person if such person is exceptionally experienced and knowledgeable but not the requirements in respect of the facilities at his command”.

4. In the said rules, in rule 2 after sub- rule (xxix), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(xxix) 'ISO Tank Container' means a tank container which includes two basic elements, the vessel and the framework, suitable for the carriage of compressed gas for conveyance by road, rail and sea, including interchange between these forms of transport and complies with requirements of ISO 1496;".

5. In the said rules, in rule 2, after sub-rule (xl), the following shall be inserted, namely:-

"(xla) 'Third Party Inspection Agency' means a professional organisation recognised by Chief Controller to carry out inspection, certifications, testing including safety audit of major accident hazards premises as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, and having persons with qualifications and experience as applicable to the competent persons".

6. In the said rules, in rule 2, in sub- rule (xIiii), after the word "pressure vessel" , the letters and words ", ISO Tank Container" shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 18 in sub-rule (2) in clause (xiii), after the word "competent person", the following shall be inserted, namely:-

"Third party inspection agency".

8. In the said Rules, in rule 19 (1),-

   i. in sub-rule (1), in clause (a), after the words "competent person" the words, brackets and letters " Third party inspection agency (TPIA)" shall be inserted;

   ii. in sub-rule (7), after the words "competent person" , the words, brackets and letters "Third party inspection agency (TPIA)" shall be inserted.

9. In the said rules, in the rule 33, after the word "competent person", the following shall be inserted, namely: -

" Third party inspection agency (TPIA)".

10. In the said rules, in the rule 43, after the word "competent person", the following shall be inserted, namely: -

"Third party inspection agency (TPIA)".

11. In the said rules, in the rule 47, for sub- rule (7) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The District authority shall grant no objection certificate or convey his refusal for granting no objection certificate with reasons thereof in writing to the applicants as expeditiously as possible but not later than two months from the date of receipt of application from the applicant and if he fails to do so in stipulated time no objection certificate shall be considered deemed to be issued:

Provided that in case the District Authority conveys his refusal or objections for granting no objection certificate, the license granted under these rules stands cancelled with immediate effect".

12. In the said rules, in the rule 49, in sub- rule (4), after the letters and figure "LS-2.", the letters, figures and word "LS-2A and LS-2B" shall be inserted.

13. In the said rules, in rule 50, after sub- rule (c), the following shall be inserted, namely:-

In Form AS-4, if the application is in respect of permission to transport compressed gas in ISO Tank Container within the Indian territory or to grant permission for Import and Transport of Compressed Gas in ISO Tank Container.

14. In the said rules, for rule 61, the following rule shall be substituted, namely:-

" 61. Loss of licence.- When a licence granted under these rules is lost or accidentally destroyed , system generated copy may be downloaded by the licensee from online portal of Petroleum and Explosive Safety Organisation".

15. In the said rules, in Appendix IIA, at Sl. No. 2, in column 4, for the brackets, figures and words "(1) A minimum experience of 10 years in –" the letters, figures and words, "(1) A minimum experience of 5 years in –'' shall be substituted.

16. In the said rules, in Appendix III, at Sl. No. A and 4, after the word "competent person", the words, brackets and letters, " Third party inspection agency (TPIA)" shall be inserted.

17. In the said rules in Schedule 1B,-

i. the entries at serial number 13 and the entries relating thereto shall be omitted;

ii. serial number 14 shall be renumbered as serial number 13 thereof and after serial number 13 as so renumbered, the following serial number shall be inserted, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| “14 | Grant of permission to Transport Compressed gas in ISO Tank containers within the Indian Territory | Rs. 5000/-". |

18. In the said rules, after Form AS-3, the following Form shall be inserted, namely:-

**“FORM AS-4**

*(See Rule 50)*

**Application for the grant of permission to transport compressed gas in ISO Tank containers within Indian territory**

1. Name in which permission required

(i) Applicant’s calling

(ii) Applicant’s full postal address

(iii) Telephone No(s) and E-mail

Particulars of storage licence under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 and Gas Cylinders Rules, 2016:

(i) Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller

(ii) Validity of licence upto

(iii) Capacity of storage as per above licence

Description of the ISO Tank container :

(i) Owners code and Serial Number

(ii) Model Number

(iii) Country of manufacture

(iv) Name of the Manufacturer

(v) Year of Manufacture

(vi) Approval country

(vii) Authorized body for design approval

(viii) Pressure Vessel Design Code

(ix) Maximum Allowable Working Pressure(MAWP)

(x) Test Pressure

(xi) Initial Pressure Test Date

(xii) Design Temperature Range

(xiii) Material of construction of vessel

(xiv) Nominal thickness of shell and dish ends

(xv) ISO tank container Water capacity

(xvi) Maximum permissible gross mass

(xvii) Unladen tare mass

(xviii) Inspected and tested by

(xix) Specification of the safety valves fitted to the vessel including set pressure

(xx) Design drawing

(xxi) Mounting drawing

(xxii) Filled with (True chemical name of the gas)

(xxiii) Filling ratio, if filled with a liquefiable gas

Date of last hydraulic test

(i) Make and Model of Prime Mover(s) to be used

(ii) for ISO Tank Container mounting purpose

Date of application Signature of applicant

Postal address of the applicant

Application shall accompany two sets of following documents

(i) Initial inspection certificate / Certificate of Control

(ii) Valid test and inspection certificates if applicable

(iii) Vessel design drawing, duly endorsed by third party inspecting agency

(iv) Mounting drawing for ISO-container, etc.

(v) Certificate of safety issued under rule 43 of Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016

(vi) Permission Fee Rs.5000/-".

In the said rules, after the Form LS-2, the following Forms shall be inserted, namely:-

**"FORM-LS-2A**

**(See rule 49 and 50 )**

**Permission to transport compressed gas in ISO tank container within the Indian territory**

Permission No.____________________ Fee Rs. 5000

Permission is hereby granted to ____________________________________________ to transport compressed gas by the ISO Tank Container as described below subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made there under and to the further conditions of this Permission.

**DESCRIPTION OF THE ISO TANK CONTAINER**

(i) Owners code & Serial Number

(ii) ISO Tank Container Model Number

(iii) Country of manufacture

(iv) Name of the Manufacturer

(v) Maximum Allowable Working Pressure(MAWP)

(vi) ISO tank container Water capacity

(vii) Maximum permissible gross mass

(viii) CCOE approved Mounting drawing details

(ix) Filled with (True chemical name of the gas)

(x) Maximum permissible Payload

(xi) Make and Model of Prime Mover(s)

(xii) Registered Laden Weight (RLW)

This Permission will remain valid up to five years from date of grant of permission

Date of Issue: Chief Controller of Explosives/Controller of Explosives

Note :- This Permission is liable to be cancelled if the Permitted vehicle is not found conforming to the requirements of chapters II and IV of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 2016, or for the contravention of any of the said rules and conditions under which this Permission is granted and the holder of this Permission is also punishable under the Act.

**CONDITIONS:**

1. ISO Tank Container shall be used for transportation of compressed gas for which permission is granted
2. Loaded vehicle weight shall not be more than RLW/GCW/GVW of the vehicle proposed to be used for ISO Tank Container mounting purpose

3. ISO Tank Container shall not be used for static storage installation for compressed gas
4. In case of multimodal transportation of ISO Tank container within the Indian Territory

   (a) adequate lifting and tie-down facilities shall be ensured at mounting and demounting locations

   (b) Permission holder shall be responsible for compliance of statutory requirements of Railways/Ports/ Director General of Shipping/ Customs etc., as applicable.
5. ISO Tank Container shall bear Markings as per the requirements of ISO 6348.
6. Periodic inspection of ISO Tank Container shall be carried out as specified in International Maritime Dangerous Goods.
7. Repair of ISO Tank Container shall be carried out by Original Equipment Manufacturer or agencies recommended by Original Equipment Manufacturers and approved by Petroleum and Explosives Safety Organisation.
8. The permission letter shall be kept at all times in the permitted vehicle and produced on demand by an officer specified in rule 70.
9. Only responsible persons who are conversant with the conditions of this permission shall be employed for driving the Permitted vehicle or attending to it.
10. The Permitted vehicle shall be constantly attended to by a responsible person and by at least two persons while it is transporting compressed gas:

    Provided that the permitted vehicle may, if empty, be kept unattended in a place approved for the purpose, in writing, by the Chief Controller or Controller.
11. The permitted vehicle shall at all times carry –

(a) at least two portable fire extinguishers of capacity not less than 9 litres and suitable for extinguishing chemical fires;

(b) a strong flexible cable for electrical bonding in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas; the cable shall be at least 5 metres long and shall have at each end a suitable clamp or clip.

12. The compressed gas shall not be loaded or unloaded in/from ISO Tank Container except in a place which is approved within the premises licensed for the purpose under the rules by the Chief Controller or Controller or when the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.

    Provided that the permitted ISO Tank Container may be unloaded at any other place with all the precautions and under adequate supervision if such unloading is necessitated by an accident or break down.
13. No ISO Tank Container shall discharge any compressed gas directly into any process vessel.
14. The permitted ISO Tank Container shall not be loaded if any of the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.
15. Before compressed gas is loaded into or unloaded from the permitted ISO Tank Container –

(a) its engine shall be stopped and the battery shall be isolated by a proper switch or otherwise;

(b) its wheels shall be secured by brakes or by scotching;

(c) its chassis shall be electrically bonded by a cable with the pipe into or from which it is to be loaded or unloaded, in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas;

(d) the correct filling or discharge pipe connections are made at both ends;

(e) a responsible person shall be in attendance and remain so until loading or unloading is over and the vehicle has been sealed.

16. Except when called upon by traffic signals or required by the licensing authority or any other officer entrusted with the job of enforcing the rules, the permitted vehicle shall not stop on any road, congested area or a place which is not a place situated within the premises licensed under the rules for the loading and unloading of ISO Tank Container vehicle.
17. No smoking and no fire or artificial light or any article capable of igniting flammable vapour shall be allowed on the permitted vehicle used for the transportation of any flammable gas.

18. The permitted ISO Tank Container vehicle shall not be used for carrying passengers.
19. No alteration in the permitted ISO Tank Container or its safety fittings shall be carried out without previous sanction in writing of the licensing authority. Such alteration so sanctioned shall be endorsed on the licence by an amendment.
20. Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the permitted ISO Tank Container vehicle shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, nearest police station and District Magistrate by quickest mode of communication.

**FORM-LS-2B**

*(See Rule 49 and 50)*

**Permission for import and transport of compressed gas in ISO Tank container**

To,

______________________

______________________

Sub: Import and transport of Compressed Gas in ISO tank Container under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, -2016.

Sir,

Please refer to your letter No. ------- Dated -------------on the above subject.

Permission is hereby accorded for the import and transport _______gas from ---------------, to your factory premises at ---------------------- (and return of empty container) in ISO- container as per the details furnished below:

1. Name of the Fabricator :
2. Serial No. :
3. Design/Working Pressure :
4. Design Temperature :
5. Fabrication Code/Type :
6. Water Capacity :
7. Test and Inspection :
8. Certificate No.& date. :
9. Weight :
10. Safety Valve Set Pressure :
11. Bulk Storage Licence No. :

The above permission is accorded subject to the following conditions, namely:-

(a) The permission is valid only for five years for import/export of ISO container.

(b) Safety precautions and relevant provisions of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 should be strictly complied with during transportation of the ISO Tank Container(s).

(c) The exhaust of the vehicle shall be fitted with a spark Arrestor of a make approved by the Chief Controller of Explosives if applicable

(d) The mounting/demounting of the container shall be carried out under the direct supervision of a responsible officer of your Organisation and a Safety Certificate under rule 43 issued under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 by a competent person or Third Party Inspection Agency duly recognized by the Chief Controller of Explosives.

(e) Necessary permission/ clearance/licences shall be obtained from Port/Transport and any other authority concerned.

(f) The gross weight of the tank shall not exceed the Registered Laden Weight of the vehicle.

(g) Product shall be loaded / unloaded only in the premises licensed in FORM-III of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 2016.

(h) Please submit self-declaration for return of ISO container after filling/emptying of ISO Container.

Note:- (1)The above permission may be reviewed, amended and withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety and contravention of conditions.

(2) The above permission is otherwise valid for a period of five years from the date of issue of this letter.

Yours faithfully,

For Chief Controller of Explosives

Copy forwarded for information to :-

1. To respective Circle and Sub Circle offices.
2. The respective Commissioner of Customs. There is no objection to the release of above ISO container.

For Chief Controller of Explosives".

[F.No. 2(1)/2017-Expl]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

**Note** : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018 and G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.01 22:19:32 +05'30'